संख्या-18/2026/907/22-2-2025-17(1160)/2019

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 09 जनवरी, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नरेश पुत्र श्री नन्हकऊ रैदास, निवासी जनपद-सीतापुर की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-15042/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-20.03.2025), दिनांक 28.03.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नरेश पुत्र श्री नन्हकऊ रैदास, जो सुजौलिया, थाना-कमलापुर, जनपद-सीतापुर का निवासी है। जमीन में हिस्सा लेने की रंजिश को लेकर दिनांक 29-03-2001 को बन्दी अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दोनाली बन्दूकों व तमन्चों से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। बन्दी को (1)-सत्र परीक्षण सं0-410/2001, भा0द0वि0 की धारा-302/34 में मा० अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0-03, सीतापुर के आदेश दिनांक 30.09.2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ के आदेश 01-05-2013 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। (2)-केस नं0-79/2012, भा0द0वि0 की धारा-2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट में मा0 न्या0 विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), सीतापुर के आदेश दिनांक 03-10-2015 द्वारा 06 वर्ष कारावास एवं जुर्माना रू0-5000/-(मूल सजा पूर्ण कर चुका है तथा जुर्माने की सजा शेष है)। बंदी ने दिनांक 13.02.2025 तक अपरिहार 23 वर्ष, 10 माह, 13 दिन तथा सपरिहार 30 वर्ष, 11 माह, 05 दिन की सजा पूरी कर ली है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल०जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि जमीन में हिस्सा लेने की रंजिश को लेकर दिनांक 29.03.2001 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दोनाली बन्दूकों व तमन्चों से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

shasanadesh.up.gov.in

कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी नरेश पुत्र नन्हकऊ रैदास को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नरेश (बन्दी संख्या-48160) पुत्र श्री नन्हकऊ रैदास, निवासी जनपद-सीतापुर की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-18/2026/907(1)/22-2-2025 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
2- पुलिस अधीक्षक, सीतापुर।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका संख्या-350/2022 पंकज सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 03-08-2023 के सन्दर्भ में।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-18/2026/907/22-2-2025-17(1160)/2019

दिनांकः 09 जनवरी, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नरेश पुत्र श्री नन्हकऊ रैदास, जो सुजौलिया, थाना-कमलापुर, जनपद-सीतापुर का निवासी है। जमीन में हिस्सा लेने की रंजिश को लेकर दिनांक 29-03-2001 को बन्दी अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दोनाली बन्दूकों व तमन्चों से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। बन्दी को (1)-सत्र परीक्षण सं0-410/2001, भा0द0वि0 की धारा-302/34 में मा० अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0-03, सीतापुर के आदेश दिनांक 30.09.2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ के आदेश 01-05-2013 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। (2)-केस नं0-79/2012, भा0द0वि0 की धारा-2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट में मा0 न्या0 विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), सीतापुर के आदेश दिनांक 03-10-2015 द्वारा 06 वर्ष कारावास एवं जुर्माना रू0-5000/-(मूल सजा पूर्ण कर चुका है तथा जुर्माने की सजा शेष है)। बंदी ने दिनांक 13.02.2025 तक अपरिहार 23 वर्ष, 10 माह, 13 दिन तथा सपरिहार 30 वर्ष, 11 माह, 05 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल०जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि जमीन में हिस्सा लेने की रंजिश को लेकर दिनांक 29.03.2001 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दोनाली बन्दूकों व तमन्चों से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी नरेश पुत्र नन्हकऊ रैदास को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।